रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052022-235602
CG-DL-E-06052022-235602

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 2022/वैशाख 16, 1944
No. 326] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 6, 2022/VAISAKHA 16, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2022

सा.का.नि. 341(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (23चङ) के स्पष्टीकरण 3 और धारा 10 के खंड (23चङ) के चौथें, पांचवें और छठें परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर संशोधन (तेरहवां संशोधन) नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में नियम 2 घग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"2घगक. अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के प्रयोजन के लिए न्यूनतम विनिधान का योग और आय में छूट । (1) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के प्रयोजन के लिए उपखंड (iii) की मद (ग) मद (घ) और मद (ङ) में निर्दिष्ट प्रतिशत और चौथे, पांचवे और छठे परन्तुक में निर्दिष्ट आय में छूट इस नियम के अनुसार संगणित की जाएगी ।

(2) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ग) में निर्दिष्ट प्रतिशत निम्नलिखित रीति से संगणित किया जाएगा, अर्थात् :-

$$\frac{(क+ग+घ) * 100}{ख}$$

जहां,-

क = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से प्रारंभ होने वाले और सुसंगत पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष को समाप्त होने वाले सभी वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक कंपनी या उद्यम या अस्तित्व में या अधिनियम की धारा 2 के खंड (13क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट अवसंरचना विनिधान न्यास में वैकल्पिक विनिधान निधि के तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधान का योग ;

ख = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से प्रारंभ होने वाले और सुसंगत पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष को समाप्त होने वाले सभी वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को वैकल्पिक विनिधान निधि के तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधान का योग ;

ग = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से प्रारंभ होने वाले और सुसंगत पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष को समाप्त होने वाले सभी वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (घ) में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक घरेलू कंपनियों में उपनियम (3) के अनुसार विनिश्चित उन घरेलू कंपनी या कंपनियों के लिए गुणित अवसंरचना विनिधान न्यास में वैकल्पिक विनिधान निधि के तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधान का योग; और

घ = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से प्रारंभ होने वाले और सुसंगत पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष को समाप्त होने वाले सभी वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ङ) में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में उपनियम (4) के अनुसार विनिश्चित उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या कंपनियों के लिए गुणित अवसंरचना विनिधान न्यास में वैकल्पिक विनिधान निधि के तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधान का योग;

परन्तु वित्तीय वर्ष 2021-22 के मामले में जो, सुसंगत पूर्व वर्ष है, धनराशि क, ख, ग और घ 31 मार्च, 2022 तक वित्तीय वर्ष 2021-22 के तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधान के योग का प्रयोग करते हुए, संगणित की जाएगी;

परन्तु और यह है कि उस मामले में जहां सुसंगत पूर्व वर्ष वह वर्ष है, जिसमें पहला विनिधान वैकल्पिक विनिधान निधि द्वारा किया गया है, तो उपरोक्त धनराशि उस वर्ष की अंतिम तारीख तक सुसंगत पूर्व वर्ष की उसके तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधान के योग का प्रयोग करते हुए, संगणित की जाएगी;

परन्तु यह भी कि धनराशि क, ग, और घ पात्र विनिधान को भी सम्मिलित करेगी जो, संगणना की तारीख तक उन धनराशियों में शामिल नहीं की जा सकी परन्तु शामिल की जाएगी, यदि संगणना वैकल्पिक विनिधान निधि द्वारा ऐसे पात्र विनिधान की प्राप्ति की तारीख के पश्चात् तीन मास के भीतर किसी भी समय की गई थी;

परन्तु यह भी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो, सुसंगत पूर्व वर्ष है और उत्तरवर्ती सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ग) में निर्दिष्ट प्रतिशत तुष्ट समझा जाएगा, यदि वह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तुष्ट है जो, सुसंगत पूर्व वर्ष है।

(3) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (घ) में निर्दिष्ट प्रतिशत निम्नलिखित रीति से संगणित किया जाएगा, अर्थात्:-

$$\frac{ङ}{च} * 100$$

जहां,-

ङ = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से प्रारंभ होने वाले और सुसंगत पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष को समाप्त होने वाले सभी वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक कंपनी या उद्यम या अस्तित्व में किए गए घरेलू कंपनी के तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधान का योग; और

च = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से प्रारंभ होने वाले और सुसंगत पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष को समाप्त होने वाले सभी वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को घरेलू कंपनी के तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधान का योग;

परन्तु वित्तीय वर्ष 2021-2022 के मामले में जो, सुसंगत पूर्व वर्ष है, उपरोक्त धनराशि 31 मार्च, 2022 तक वित्तीय वर्ष 2021-2022 के तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधान के योग का उपयोग करते हुए, संगणित की जाएगी;

परन्तु यह और कि उस मामले में जहां सुसंगत पूर्व वर्ष वह वर्ष है, जिसमें पहला विनिधान घरेलू कंपनी द्वारा किया गया है, तो उपरोक्त धनराशि उस वर्ष की अंतिम तारीख तक सुसंगत पूर्व वर्ष के उसके तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधान के योग का प्रयोग करते हुए, संगणित की जाएगी;

परन्तु यह भी कि धनराशि ङ पात्र विनिधान को भी सम्मिलित करेगी जो, संगणना की तारीख तक उन धनराशियों में शामिल नहीं की जा सकी परन्तु शामिल की जाएगी, यदि संगणना घरेलू कंपनी द्वारा ऐसे पात्र विनिधान की प्राप्ति की तारीख के पश्चात् तीन मास के भीतर किसी भी समय की गई थी;

परन्तु यह भी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो, सुसंगत पूर्व वर्ष है और उत्तरवर्ती सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (घ) में निर्दिष्ट प्रतिशत तुष्ट समझा जाएगा, यदि वह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तुष्ट है जो, सुसंगत पूर्व वर्ष है;

(4) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (**iii**) की मद (ङ) में निर्दिष्ट प्रतिशत निम्नलिखित रीति से संगणित किया जाएगा**,** अर्थात्:-

$$\frac{\text{छ}}{\text{ज}} * 100$$

जहां,

छ = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से प्रारंभ होने वाले और सुसंगत पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष को समाप्त होने वाले सभी वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक कंपनी या उद्यम या अस्तित्व में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के तुलनपत्र में दर्शित पात्र उधार का योग;

ज = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से प्रारंभ होने वाले और सुसंगत पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष को समाप्त होने वाले सभी वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के तुलनपत्र में दर्शित पात्र उधार का योग;

परन्तु वित्तीय वर्ष 2021-2022 के मामले में जो, सुसंगत पूर्व वर्ष है, उपरोक्त धनराशि 31 मार्च, 2022 तक वित्तीय वर्ष 2021-2022 के तुलनपत्र में दर्शित पात्र उधार के योग का उपयोग करते हुए, संगणित की जाएगी;

परन्तु यह और कि उस मामले में जहां सुसंगत पूर्व वर्ष वह वर्ष है, जिसमें पहला ऋण या उधार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा विस्तारित किया गया है, वहां उपरोक्त धनराशि उस वर्ष की अंतिम तारीख तक सुसंगत पूर्व वर्ष के उसके तुलनपत्र में दर्शित पात्र उधार के योग का उपयोग करते हुए, संगणित की जाएगी;

परन्तु यह भी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो, सुसंगत पूर्व वर्ष है और उत्तरवर्ती सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ङ) में निर्दिष्ट प्रतिशत तुष्ट समझा जाएगा, यदि वह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तुष्ट है जो, सुसंगत पूर्व वर्ष है;

(5) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (**iii**) के चौथे परन्तुक के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो वैकल्पिक विनिधान निधि की एक इकाई का धारक है**,** को प्रोद्भूत या उद्भूत या दी गई आय या द्वारा प्राप्त की गई आय**,** उस निधि में किए गए विनिधान के बाहर ऐसी रीति में आय-कर के लिए प्रभार्य होगी**,** मानो यह ऐसे व्यक्ति को प्रोद्भूत या उद्भूत या दी गई आय थी या द्वारा प्राप्त की गई आय थी और ऐसी विनिधान निधि द्वारा किया गया विनिधान उसके द्वारा सीधे किया गया था और सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान ऐसी निधि में विनिधान से उद्भूत विनिर्दिष्ट व्यक्ति की आय की छूट की गणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी**,** अर्थात् **:-**

$$\text{झ}+\text{ञ}+\text{ट}+\text{ठ}$$

जहां,-

झ = अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ख) में निर्दिष्ट कंपनियों या उद्यमों या आस्तियों में वैकल्पिक विनिधान निधि द्वारा किए गए पात्र विनिधान से सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत या दी गई या प्राप्त की गई आय उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति की अधिसूचना की तारीख पर या उसके पश्चात् विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए किसी विनिधान के बाहर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणना की जाएगी;

ञ = विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए किसी विनिधान में से, **ढ** द्वारा गुणित और ण द्वारा विभाजित, जहां **ढ** और **ण** ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी के लिए उपनियम (6) में उनके लिए समनुदेशित मूल्य होगा, अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (घ) में निर्दिष्ट एक या अधिक देशी कंपनियों में वैकल्पिक विनिधान निधि द्वारा किए गए विनिधानों से अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत या दी गई या प्राप्त आय;

ट = विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए किसी विनिधान में से, **थ** द्वारा गुणित और **द** द्वारा विभाजित, जहां **थ** और **द** ऐसी प्रत्येक गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी के लिए उपनियम (7) में उनके लिए समनुदेशित मूल्य होगा, अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ङ) में निर्दिष्ट एक या अधिक गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों में वैकल्पिक विनिधान निधि द्वारा किए गए विनिधानों से अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत या दी गई या प्राप्त आय; और

ठ = अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति की अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात् विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए किसी विनिधान में से, अधिनियम की धारा 2 के खंड (13क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट अवसंरचना विनिधान न्यासों में वैकल्पिक विनिधान निधि द्वारा किए गए पात्र विनिधानों से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत या दी गई या प्राप्त आय।

(6) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) के पांचवे परंतुक के प्रयोजनों के लिए सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान छूट प्राप्त आय निम्नलिखित रीति से परिकलित की जाएगी, अर्थात्:--

$$\frac{ङ * ढ}{ण}$$

जहां,--

ङ = अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित, अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (घ) में निर्दिष्ट एक या अधिक देशी कंपनियों में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए विनिधान से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत या दी गई या प्राप्त आय;

ढ = सुसंगत पूर्ववर्ष के तत्काल पूर्ववर्ष की अंतिम तारीख को (सुसंगत पूर्ववर्ष की अंतिम तारीख, यदि पात्र विनिधान प्रथम बार के लिए सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किया गया है), अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनी या उद्यम या इकाई में देशी कंपनी द्वारा किया गया, उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति की अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात् विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए विनिधान में से, देशी कंपनी के तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधानों का योग;

ण = सुसंगत पूर्ववर्ष के ठीक पूर्व वर्ष की अंतिम तारीख को (सुसंगत पूर्ववर्ष की अंतिम तारीख, यदि पात्र विनिधान प्रथम बार के लिए सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किया गया है), विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए विनिधान में से, देशी कंपनी के तुलनपत्र में दर्शित पात्र विनिधानों का योग।

(7) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (**iii**) के छठें परंतुक के प्रयोजनों के लिए**,** सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान छूट प्राप्त आय निम्नलिखित रीति में परिकलित की जाएगी**,** अर्थात् :--

$$\frac{त * थ}{द}$$

जहां,--

त = अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित, अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ङ) में निर्दिष्ट एक या अधिक गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए किसी विनिधान से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत या दी गई या प्राप्त आय;

थ = सुसंगत पूर्ववर्ष के ठीक पूर्व वर्ष की अंतिम तारीख को (सुसंगत पूर्ववर्ष की अंतिम तारीख, यदि पात्र विनिधान प्रथम बार के लिए सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किया गया है), अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनी या उद्यम या इकाई के लिए गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा किया गया, उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति की अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात् विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए विनिधान में से, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी के तुलनपत्र में दर्शित पात्र उधार का योग;

द = सुसंगत पूर्ववर्ष के तत्काल पूर्ववर्ष की अंतिम तारीख को (सुसंगत पूर्ववर्ष की अंतिम तारीख, यदि पात्र विनिधान प्रथम बार के लिए सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किया गया है), विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए विनिधान में से, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी के तुलनपत्र में प्रकट होने वाले पात्र उधार का योग।

(8) प्रत्येक वैकल्पिक विनिधान निधि, देशी कंपनी और गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी, जिसने किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति से या तो प्रत्यक्षत: या आनुकल्पिक विनिधान निधि के माध्यम से निधि प्राप्त की है, वह प्रत्येक पूर्ववर्ष के लिए, जिसके दौरान ऐसी निधि या उसका कोई भाग ऐसे आनुकल्पिक विनिधान निधि, देशी कंपनी या गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी में विनिधान किया गया है, प्ररूप 10खखघ में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से प्राप्त निधियों का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा ।

(9) प्ररूप सं. 10खखघ में या तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो अधिनियम की धारा 140 के अधीन ऐसे आनुकल्पिक विनिधान निधि, देशी कंपनी या गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी की आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है।

(10) प्ररूप सं. 10खखघ, अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा, जो पूर्ववर्ष के सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें पात्र विनिधान विनिर्दिष्ट व्यक्ति से प्रथमत: प्राप्त किए गए हैं और जब तक सभी पश्चातवर्ती पूर्ववर्षों को विनिर्दिष्ट व्यक्ति से प्राप्त पात्र विनिधान वापस नहीं कर दिए जाते हैं।

(11) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली),--

(i) प्ररूप सं. 10खखघ में डाटा को सुरक्षित लेने और उसका पारेषण करने के लिए प्रक्रिया, रूप-विधान और मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा; और

(ii) उक्त प्ररूप में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के सत्यापन हेतु उपनियम (9) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड को सृजित करने की प्रक्रिया, रूप-विधान, डाटा संरचना, मानक और रीति को विनिर्दिष्ट करेगा; और

(iii) इस प्रकार प्रस्तुत किए गए प्ररूप सं. 10खखघ के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

स्पष्टीकरण 1: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, पद—

(क) "वैकल्पिक विनिधान निधि" से अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) के मद (ग) में निर्दिष्ट आनुकल्पिक विनिधान निधि का प्रवर्ग I या प्रवर्ग II अभिप्रेत है;

(ख) "तुलनपत्र" से सुसंगत वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को, जो कार्यकलाप की स्थिति का सही और ऋजु चित्र देता है, लागू लेखा मानकों का अनुपालन करता है और सुसंगत आनुकल्पिक विनिधान निधि के लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की गई है या संबंधित कपंनी, यथास्थिति, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आनुकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के विनियम 20 के उपविनियम (5) या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए तुलनपत्र (जिसके अंतर्गत उससे उपाबद्ध टिप्पण और लेखाओं का भाग रूप है) अभिप्रेत है;

(ग) "देशी कंपनी" से अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (घ) में निर्दिष्ट कोई कंपनी अभिप्रेत है;

(घ) "पात्र विनिधान" से ऐसा विनिधान अभिप्रेत है जो यथास्थिति, वैकल्पिक विनिधान निधि या देशी कंपनी द्वारा 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् या 31 मार्च, 2024 से पूर्व किया गया है;

(ङ) "पात्र उधार" से ऐसा उधारदाता अभिप्रेत है जो किसी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् या 31 मार्च, 2024 से पूर्व किया है;

(च) "विनिधान" से ऐसी जंगम और स्थावर आस्तियां अभिप्रेत हैं, जिसके अंतर्गत चालू और गैर चालू विनिधान, उधार और अग्रिम तथा रोकड़ एवं नकद समतुल्य सम्मिलित हैं;

(छ) "गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" से अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ङ) में निर्दिष्ट कोई कंपनी अभिप्रेत है;

(ज) "सुसंगत पूर्ववर्ष" ऐसा पूर्ववर्ष अभिप्रेत है, जिसके लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के अधीन छूट प्राप्त आय परिकलित की जानी है:

परंतु उपनियम (2) के चौथे परंतुक, उपनियम (3) के चौथे परंतुक और उपनियम (4) के तीसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए, पूर्ववर्ष 2024-25 सुसंगत पूर्ववर्ष के रूप में माना जाएगा । यद्यपि अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के अधीन छूट प्राप्त आय उस वर्ष के लिए परिकलित किए जाने की आवश्यकता नहीं है; और

(झ) "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" से अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

3. मूल नियमों के परिशिष्ट II में,--

(i) प्ररूप सं. 10खखख के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप सं. 10खखख"

[नियम 2घख देखें]

[ई-प्ररूप]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चङ) के अधीन विनिधान करने के लिए पेंशन निधि द्वारा संसूचना

(वित्तीय वर्ष के 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही से एक मास के भीतर)

भाग क साधारण जानकारी		
क्र.सं.		
1.	समाप्त होने वाली तिमाही	30 जून/30 सितंबर/31 दिसंबर/31 मार्च
2.	वित्तीय वर्ष	व व व व - व व व व
3.	पेंशन निधि का नाम	
4.	पैन	
5.	आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चङ) के अधीन अधिसूचित अधिसूचना के ब्यौरे	अधिसूचना सं. | अधिसूचना की तारीख |

भाग ख विनिधान की विशिष्टियां

क्र.सं.	विनिधान की तारीख	विनिधान की रकम (रु. में)	विनिधान की प्रकृति (टिप्पण 3) $	आय की प्रकृति (टिप्पण 4) #	उस अस्तित्व के ब्यौरे, जिसमें विनिधान किया गया है		
					अस्तित्व की प्रकृति (टिप्पण 5)^	नाम	पैन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
कुल							

सत्यापन*

मैं,.....पुत्र/पुत्री/पत्नी** श्री.....सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा उसमें दी गई विशिष्टयों का सही कथन किया गया है ।

2. मैं, यह और घोषणा करता/करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, मैंने कोई सुसंगत तथ्य या सूचना को नहीं छिपाया है ।

3. मैं, यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मैं यह आवेदन.....की हैसियत (पदनाम) में कर रहा/रही हूं और मेरा पैन/आधार** सं.....है तथा मैं यह आवदेन करने के लिए सक्षम हूं और मैं इसका सत्यापन करता/करती हूं ।

……तारीख.....को सत्यापित

स्थान.....

(हस्ताक्षर).....

नाम.....

टिप्पण :

1 *आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के अधीन आय-कर विवरणी को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।

2. **जो लागू न हो उसको काट दें।

3. $ निम्नलिखित कोड में से एक का चयन करें:

विनिधान की प्रकृति	**कोड**
ऋण	1
साधारण शेयर	2
अधिमानी शेयर	3
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4

4. # निम्नलिखित कोड में से एक का चयन करें:

आय की प्रकृति	**कोड**
ब्याज	1
लाभांश	2
पूंजी अभिलाभ	3
अन्य	4

5. ^निम्नलिखित कोडो में से किसी एक कोड का चयन किया जाना है :

उस अस्तित्व की प्रकृति जिसमें विनिधान किया गया है	कोड
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.)के उपखंड (iii) की मद (क) में निर्दिष्ट कारबार न्यास	1
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.)के उपखंड (iii) की मद (ख) में कंपनी या उद्यम या अस्तित्व	2
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.)के उपखंड (iii) की मद (ग) में अनुकल्पिक विनिधान निधि	3
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.)के उपखंड (iii) की मद (घ) में घरेलू कंपनी	4
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.)के उपखंड (iii) की मद (ड.) में अवसंरचना वित्तीय कंपनी – एनबीएफसी/अवसंरचना ऋण निधि-एनबीएफसी	5

";

(ii) प्ररुप 10खखग के स्थान पर निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा :

"***प्ररुप सं. 10खखग***

*[*नियम 2घख देखें*]*

भाग - 1

अधिसूचित पेंशन निधि द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन उपबंधों के अनुपालन के संबंध में लेखाकार का प्रमाणपत्र

मैं/हम संपुष्ट करते हैं कि (पेंशन निधि का नाम) ....., जिसकी पैन सं.....है, के सुसंगत लेखाओं, दस्तावेजों और अभिलेखों की संपरीक्षा की गई है और जो आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन अधिसूचना संख्यांक…….. तारीख.....(ता.....मा.....वर्ष.....) द्वारा ..... (ता.....मा.....वर्ष.....) से ..... (ता.....मा.....वर्ष.....) तक की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है और संपरीक्षा के पश्चात्, भाग 2 में उपलब्ध विशिष्टियां प्रमाणित की जाती हैं।

भाग II

1. निर्धारिती का नाम :
2. पैन/आधार सं. :
3. पूर्व वर्ष :
4. पूर्व वर्ष के दौरान निर्धारिती की कुल आय

5. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट के लिए पात्र आय की कुल रकम (सारणी के स्तंभ 11 की मद सं. 6 पर ब्यौरों के अनुसार) :

6. (*क*)*ऐसे* किए गए *विनिधान* का आरंभिक अतिशेष (अर्थात् पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को अंतिम अतिशेष) जो धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट के लिए पात्र है :

(*ख*) *पूर्व वर्ष के दौरान पेंशन निधि द्वारा विनिधान के ब्यौरे:*

क्रम सं.	**विनिधान की तारीख**	विनिधान की रकम (रुपए में)	विनिधान की प्रकृति (टिप्पण 3 *$*	आय की प्रकृति (टिप्पण 4) *#*	वर्ष के दौरान विनिधान पर आय की रकम (रुपए में)	उस अस्तित्व के ब्यौरे जिसमें विनिधान किया गया				आय की रकम जो धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट के लिए पात्र है (सुसंगत नियमों के अनुसार संगणना पत्र संलग्न करें)
						अस्तित्व की प्रकृति (टिप्पण 5) ^	नाम	पैन	यदि अस्तित्व की प्रकृति का कोड 3/4/5 है, तो क्या अस्तित्व ने धारा 10 के खंड (23चड.) के उपखंड (*iii*) की मद (ग) या मद (घ) या मद (ड.) में यथाअपेक्षित 50 या 75 या 90 प्रतिशत का न्यूनतम विनिधान किया है (सुसंगत नियमों के अनुसार संगणना पत्र संलग्न करें)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1.										
2.										
कुल										

7. *(*क*) उस तारीख से जिसको उक्त छूट के संबंध में विनिधान किया गया था, तीन वर्ष के अवसान के पूर्व आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए किए गए किन्हीं विनिधानों को पेंशन निधि ने विक्रय किया है (हां/नहीं)।

(ख) यदि (क) का उत्तर हां है, तो उसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	विनिधान की तारीख	विनिधान की प्रकृति (टिप्पण 3) $	आय की प्रकृति (टिप्पण 4) #	वर्ष के दौरान विनिधान पर आय की रकम	उस अस्तित्व के ब्यौरे जिसमें विनिधान किया गया			विक्रय की तारीख
					अस्तित्व की प्रकृति (टिप्पण 5)	नाम	पैन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
कुल								

8. पेंशन निधि, आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए सभी शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :-

क)	उस विधि का नाम जिसके अधीन पेंशन निधि सृजित या स्थापित है ।	
ख)	उन निधियों या योजनाओं के ब्यौरे जिनके लिए पेंशन निधि, आस्तियों का प्रशासन करने या विनिधान करने के लिए जिम्मेवार है :	

निधि/योजना का नाम	प्रयोजन जिसके लिए योजना या निधि स्थापित है (टिप्पण 6) $$	निधि/योजना की प्रकृति (टिप्पण 7) ##	पेंशन निधि द्वारा विनिधान की गई या प्रशासित आस्तियों के कुल मूल्य का, प्रत्येक योजना/निधि से प्राप्त हुई आस्तियों के मूल्य का प्रतिशत

ग)	यदि पेंशन निधि द्वारा प्रशासित या विनिधान की गई निधियों/योजनाओं में से कुछ निधियां/योजनाएं एसडब्ल्यूएफ प्रकृति की हैं तो क्या वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हैं : (i) इन निधियों/योजनाओं की आस्तियां प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, पूर्णतया बाहरी देश की सरकार के स्वामित्व में हैं; और (ii) ऐसी आस्तियां, ऐसे बाहरी देश की सरकार के विघटन पर सरकार में निहित हैं	हां/नहीं
घ)	क्या पेंशन निधि के उपार्जन या आस्तियों का कोई भाग किसी निजी व्यक्ति को कोई फायदा पहुंचाता है (कानूनी बाध्यताओं को पूरा करने या नियम 2घख के खंड (ii) में निर्दिष्ट निधियों या योजनाओं के भागीदारों या फायदाग्राहियों के लिए परिभाषित अभिदायों से भिन्न; या ऋण या उधारियों के लिए [अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) के उपखंड (ख) में यथापरिभाषित] लेनदारों या निक्षेपकर्ताओं को भारत में विनिधान करने से भिन्न प्रयोजनों के लिए किए गए किसी संदाय के लिए;)	हां/नहीं

ङ.)	यदि (घ) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें : i. ऐसे निजी व्यक्ति का नाम ii. वर्ष के दौरान उपलब्ध कराए गए फायदे की रकम	
च)	क्या यह किसी विनिधान प्राप्तकर्ता की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में भागीदारी करता है, धारा 10 के खंड (23चङ.) के स्पष्टीकरण 2 में यथापरिभाषित, विनिधान प्राप्तकर्ता के साथ विनिधान को संरक्षित करने के किसी मॉनीटरी तंत्र को विवर्जित करते हुए, जिसके अंतर्गत निदेशकों या कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति का अधिकार भी है :	हां/नहीं
छ)	यदि (च) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें : i. ऐसे विनिधान प्राप्तकर्ता का नाम ii. विनिधान प्राप्तकर्ता का पैन iii. वर्ष के अंत में ऐसे विनिधान प्राप्तकर्ता में विनिधान की रकम	
ज)	क्या ये भारत में विनिधान करने के प्रयोजनों के लिए प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, धारा 10 के खंड (23चङ.) के स्पष्टीकरण 2 में यथापरिभाषित ऋण या उधारियां हैं :	हां/नहीं
झ)	यदि (ज) का उत्तर हां है तो निम्नलिखित ब्यौरे दें : i. ऐसे व्यक्ति का नाम जिससे ऋण या उधारियां ली गई हैं ii वर्ष के आरंभ में ऋण या उधारियों की रकम Iii वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण या उधारियों की रकम iv वर्ष के दौरान पुन:संदत्त ऋण या उधारियों की रकम V वर्ष के अंत में ऋण या उधारियों की रकम	
ञ)	क्या ऐसे विनिधान के संबंध में आय और विनिधान के लिए पृथक विभाजित लेखा रखा जाता है जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ.) के अधीन छूट के लिए अर्हित है ।	हां/नहीं
ट)	क्या यह ऐसे बाहरी देश में कर के लिए दायी है	हां/नहीं
ठ)	यदि (ट) का उत्तर हां है तो क्या उसकी सभी आय के लिए कराधान से ऐसे बाहरी देश द्वारा छूट उपलब्ध कराई गई है ;	हां/नहीं
ड)	ऐसी तिमाही जिसके लिए प्ररुप संख्यांक 10खखख में पूर्व वर्ष के दौरान सूचना फाइल की गई है	टिप्पण 8 देखें ***

सत्यापन

यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रस्तुत की गई जानकारी सभी प्रकार से सत्य और सही है और कोई सुसंगत जानकारी छिपायी या रोकी नहीं गई है ।

2. न तो मैं, न ही मेरा कोई भागीदार उपरोक्त उल्लिखित आस्तियों या उसके सहबद्ध उपक्रमों में कोई निदेशक, या कर्मचारी नहीं है ।

3. मैं/हम **,* पूर्णतया यह समझते हैं कि इस प्रमाणपत्र में किया गया कोई कथन यदि असत्य या मिथ्या पाया जाता है, तो विधि में विहित या अन्यथा अपेक्षित किसी दांडिक या अन्य परिणामों के लिए मुझे/हमें *** दायी माना जाएगा ।

आज की तारीख _____ को सत्यापित

स्थान _____

*(*हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर*)*

*†*लेखाकार_____

हस्ताक्षरकर्ता का नाम_____

सदस्यता सं._____

टिप्पण :

1. ***जो लागू न हो उसे काट दें ।

2. *†*यह प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार द्वारा दिया जाए ।

3. *$* किसी एक कोड का चयन किया जाना है:

विनिधान की प्रकृति	कोड
ऋण	*1*
साम्या	*2*
अधिमानी शेयर	*3*
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	*4*

4. *#* किसी एक कोड का चयन किया जाना है:

आय की प्रकृति	कोड
ब्याज	*1*
लाभांश	*2*
पूंजी अभिलाभ	*3*
अन्य	*4*

5. ^ किसी एक कोड का चयन किया जाना है:

उस अस्तित्व की प्रकृति जिसमें विनिधान किया गया है	कोड
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.)के उपखंड *(iii)* की मद (क) में निर्दिष्ट कारबार न्यास	*1*
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.)के उपखंड *(iii)* की मद (ख) में कंपनी या उद्यम या अस्तित्व	*2*
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.)के उपखंड *(iii)* की मद (ग) में अनुकल्पिक विनिधान निधि	*3*
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.)के उपखंड *(iii)* की मद (घ) में घरेलू कंपनी	*4*
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.)के उपखंड *(iii)* की मद (ड.) में अवसंरचना वित्तीय कंपनी – एनबीएफसी/अवसंरचना ऋण निधि-एनबीएफसी	*5*

6. $$ किसी एक या अधिक कोडों का चयन किया जाना है:

योजना/निधि का प्रयोजन	**कोड**
सेवानिवृत्ति	*1*
सामाजिक सुरक्षा	*2*
नियोजन	*3*
दिव्यांगता	*4*
मृत्यु संबंधी प्रसुविधाएं	*5*
समरूप प्रतिकर (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	*6*

*7. ##*किसी एक कोड का चयन किया जाना है:

योजना/निधि की प्रकृति	**कोड**
पेंशन निधि	*1*
संप्रभु धन निधि	*2*
अन्य	*3*

*8. ***किसी एक या अधिक कोडों का चयन किया जाना है :

प्ररुप 10खखख में सूचना	**कोड**
पूर्व वर्ष के 30 जून को समाप्त होने वाली तिमाही	*1*
पूर्व वर्ष के तिमाही वाली होने समाप्त को सितंबर 30	*2*
पूर्व वर्ष के तिमाही वाली होने समाप्त को दिसंबर 30	*3*
पूर्व वर्ष के तिमाही वाली होने समाप्त को मार्च 30	*4*

.";

(iii) प्ररुप सं. 10खखग के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररुप 10खखघ

*[*नियम 2घगक देखें*]*

*[*ई-प्ररुप*]*

प्राप्त पात्र विनिधान का विवरण

1. निर्धारिती का नाम :

2. पैन/आधार सं. :

3. पूर्व वर्ष :

भाग क (विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विनिधान में से विनिर्दिष्ट व्यक्ति की अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात् *(i)* विनिर्दिष्ट व्यक्ति या *(ii)* विनिर्दिष्ट अनुकल्पी विनिधान निधि, से प्राप्त हुए पात्र विनिधानों के ब्यौरे)

क्रम सं.	**विनिर्दिष्ट व्यक्ति / अनुकल्पी विनिधान निधि का नाम**	**विनिर्दिष्ट व्यक्ति/ अनुकल्पी विनिधान निधि का पैन**	ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति/अनुकल्पी विनिधान निधि से प्राप्त हुए ऐसे पात्र विनिधानों का आरंभिक अतिशेष (रुपए में)	विनिर्दिष्ट व्यक्ति/अनुकल्पी विनिधान निधि से वर्ष के दौरान प्राप्त हुए ऐसे पात्र विनिधान (रुपए में)	विनिर्दिष्ट व्यक्ति/अनुकल्पी विनिधान निधि को वर्ष के दौरान वापस किए गए ऐसे पात्र विनिधान (रुपए में)	विनिर्दिष्ट व्यक्ति/अनुकल्पी विनिधान निधि प्राप्त हुए ऐसे पात्र विनिधानों का अंतिम अतिशेष (रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
कुल						

भाग ख

भाग क में सूचीबद्ध पात्र विनिधानों में से बनाए गए सभी विनिधानों के ब्यौरे

(प्रत्येक विनिर्दिष्ट व्यक्ति या वैकल्पिक विनिधान निधि के लिए अलग से फाइल होंगे)

I. विनिर्दिष्ट व्यक्ति/वैकल्पिक विनिधान निधि का नाम

II. भाग क में क्र.सं.

विनिधान का नाम	विनिधान की प्रकृति (टिप्पण ग) $	अस्तित्व के ब्यौरे जिसमे विनिधान बनाए गए			विनिधान का अरंभिक अतिशेष (रू. में)	वर्ष के दौरान बनाए गए विनिधान की राशि (रू. में)	वर्ष के दौरान विक्रीत/ परिनिर्धारित/ अभिधान की रकम (रू.में)	यथास्थिति विनिधान की तारीख या विक्रय/ परिनिर्धारण करने की तारीख	विनिधान का अंत अतिशेष	आप की प्रकृति (टिप्पण घ)*	वर्ष के दौरान विनिधान पर आय की रकम (रू.में)	स्तम्भ 12 में आय से, विनिर्दिष्ट व्यक्ति/ वैकल्पिक विनिधान निधि के आय की प्रकृति (टिप्पण घ) (रू.में)*	विनिर्दिष्ट व्यक्ति/ वैकल्पिक विनिधान निधि के आय की रकम (रू.में)
		अस्तित्व की प्रकृति (टिप्पण ङ)**	अस्तित्व का नाम	अस्तित्व का पैन									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

भाग ग [भाग क में सूचीबद्ध *(i)*विनिर्दिष्ट व्यक्ति *(ii)*वैकल्पिक विनिधान निधि से प्राप्त किए गए विनिधानों के ब्यौरे, लेकिन विनिधान भाग क में समावेशित नहीं हैं

क्र.सं.	**भाग क में सूचीबद्ध विनिर्दिष्ट व्यक्ति/ वैकल्पिक विनिधान निधि का नाम**	विनिर्दिष्ट व्यक्ति/वैकल्पिक विनिधान निधि का पैन	विनिर्दिष्ट व्यक्ति/वैकल्पिक विनिधान निधि से प्राप्त विनिधानों का आंरभिक अतिशेष जो भाग क में समावेशित नहीं हैं	विनिर्दिष्ट व्यक्ति/वैकल्पिक विनिधान निधि से वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए विनिधान जो भाग क में समावेशित नहीं हैं	विनिर्दिष्ट व्यक्ति/वैकल्पिक विनिधान निधि का वर्ष के दौरान ऐसे विनिधानों की वापसी	विनिर्दिष्ट व्यक्ति/वैकल्पिक विनिधान निधि से प्राप्त किए गए ऐसे विनिधानों के आरंभिक अतिशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
योग						

भाग घ

(भाग ग में सूचीबद्ध विनिधान से बनाए गए सभी विनिधान के ब्यौरे)

I. विनिर्दिष्ट व्यक्ति/वैकल्पिक विनिधान निधि का नाम

II. भाग ग में क्र. सं.

विनिधान का नाम	विनिधान की प्रकृति (टिप्पण ग) $	अस्तित्व के ब्यौरे जिसमे विनिधान बनाए गए			विनिधान का अरंभिक अतिशेष (रू. में)	वर्ष के दौरान बनाए गए विनिधान की राशि (रू. में)	वर्ष के दौरान विक्रीत/ परिनिर्धारित अभिधान की रकम (रू.में)	यथास्थिति विनिधान की तारीख या विक्रय/ परिनिर्धारण करने की तारीख	विनिधान का अंत अतिशेष	आप की प्रकृति (टिप्पण घ)*	वर्ष के दौरान विनिधान पर आय की रकम (रू.में)	स्तम्भ 12 में आय से, विनिर्दिष्ट व्यक्ति /वैकल्पिक विनिधान निधि के आय की प्रकृति (टिप्पण घ) (रू.में) *	विनिर्दिष्ट व्यक्ति /वैकल्पिक विनिधान निधि के आय की रकम (रू.में)
		अस्तित्व की प्रकृति (टिप्पण ङ)**	अस्तित्व का नाम	अस्तित्व का पैन									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

घोषणा

मैं,_____(बड़े अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी…….. (वैकल्पिक विनिधान निधि, देशी कंपनी और गैर-बैंककारी वित्त कंपनी)..... एतद्वारा घोषणा करते हैं कि उपरोक्त प्ररुप में जो भी दिया गया है मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार ठीक और पूर्ण है;

मैं पुन: घोषणा करता हूँ कि मैं..... (पद) की हैसियत से ऐसे कथन करता हूँ और इस कथन की घोषणा करने और देने के लिए मैं सक्षम हूँ।

स्थान:

तारीख:

भवदीय,

हक्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

टिप्पण

(क) भाग ख की सारणी में स्तम्भ सं. 10 का योग, भाग क की सारणी में स्तम्भ सं. 7 के योग से मेल खाना चाहिए, उस रकम को छोड़कर जिसे अब तक निवेश नहीं किया गया है

(ख) भाग घ की सारणी में स्तम्भ सं. 10 का योग, भाग ग की सारणी में स्तम्भ सं. 7 के योग से मेल खाना चाहिए, उस रकम को छोड़कर जिसे अब तक निवेश नहीं किया गया है

(ग) $ निम्नलिखित में से एक कोड को चयनित होना है :

विनिधान की प्रकृति	**कोड**
ऋण	1
साधारण शेयर	2
अधिमानी शेयर	3
अन्य(कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4

(घ) * निम्नलिखित में से एक कोड को चयनित होना है :

आय की प्रकृति	**कोड**
ब्याज	1
लाभांश	2
पूंजी अभिलाभ	3
अन्य	4

(ड.) ** निम्नलिखित में से एक कोड को चयनित होना है :

अस्तित्व की प्रकृति जिससे विनिधान किया गया है	**कोड**
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के उपखंड (iii) के मद (क) में निर्देशित व्यावसायिक न्यास	1
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) की उपखंड (iii) के मद (ख) में निर्देशित कंपनी या उद्यम या अस्तित्व	2
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) की उपखंड (iii) के मद (ग) में निर्देशित वैकल्पिक विनिधान निधि	3
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) की उपखंड (iii) के मद (घ) में निर्देशित देशी कंपनी	4
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) की उपखंड (iii) के मद (ङ) में निर्देशित अवसंरचना वित्त कंपन/अवसंरचना ऋण निधि – एनबीएफसी	5
अभी तक विनिधान नहीं किया गया	6
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	7”.

[अधिसूचना सं. 50/2022/ एफ. सं. 370142/2/2022-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड-3 , उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि 339(अ) तारीख 5 मई, 2022 द्वारा किया गया ।